

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून

तेरहवीं वित्त समिति की बैठक दिनांक: 26 अगस्त, 2025 (मंगलवार) का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति :-

1. प्रो०ए०के० त्रिपाठी, कुलपति, हे०न०ब०उ०चि०शि० विश्वविद्यालय — अध्यक्ष
2. श्री अरविंद सिंह पांगती, संयुक्त सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य
3. श्री सुनील कुमार सिंह, उप सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन — सदस्य
4. मनीष कुमार उप्रेती, वित्त नियंत्रक, हे०न०ब०उ०चि०शि० विश्वविद्यालय — सदस्य
5. प्रो० अनुपमा आर्य, विभागाध्यक्ष, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून — सदस्य
6. डॉ० आशीष उनियाल, कुलसचिव, हे०न०ब०उ०चि०शि० विश्वविद्यालय, देहरादून — पदेन सचिव

सर्वप्रथम बैठक में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए हे०न०ब०उ० चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया और विश्वविद्यालय की गतिविधियों तथा भावी योजनाओं से समिति को अवगत कराया गया। तत्पश्चात वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्ताव बिन्दुवार प्रस्तुत किये गए एवं समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उन पर निम्नवत निर्णय लिए गये :-


एजेण्डा बिन्दु संख्या-1-वित्त समिति की दिनांक 27.02.2025 को सम्पन्न बारहवीं बैठक में लिए गये निर्णयों सम्बन्धी अनुपालन आख्या की स्थिति :-

उक्त बैठक में कुल 06 बिन्दुओं पर निर्णय लिए गये थे, इन समस्त बिन्दुओं को क्रमवार वित्त नियंत्रक द्वारा समिति के सदस्यों के सम्मुख पढ़कर प्रस्तुत किया गया, साथ ही पारित किये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से भी समिति को अवगत कराया गया।


निर्णय:- समिति द्वारा गत वर्ष सम्पन्न बारहवीं बैठक में लिए गये निर्णयों के क्रियान्वयन की पुष्टि की गई।


एजेण्डा बिन्दु संख्या-2 :- विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा तेरहवीं वित्त समिति में विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रत्येक अनुभागों से एक वित्तीय वर्ष में उनके अनुभागों से संबंधित कार्यों में होने वाले व्ययों का अनुमानित विवरण प्राप्त किया गया है।


निर्णय:- समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट संबंधी आँकड़ों को अवलोकित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तुत बजट को स्वीकृत करते हुए तदनु रूप व्यय किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।



कुलसचिव
हे०न०ब०उ० चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून


Finance Controller
HNB Medical Education University
Dehradun


(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव
आर्थिक कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड शासन


(अरविन्द सिंह पांगती)
संयुक्त सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग


Dr. Anupama Arya


Vice Chancellor
HNB Uttarakhand Medical Education University
Dehradun

एजेण्डा बिन्दु संख्या-3- विश्वविद्यालय की दसवीं वित्त समिति दिनांक 24.05.2023 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-12 (2) में सम्बद्ध राजकीय कॉलेजों से प्राप्त परीक्षा शुल्कों के संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि परीक्षाओं हेतु लिए जाने वाले परीक्षा शुल्कों की धनराशि का 75:25 के अनुपात में कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में विभाजित किया जायेगा। समस्त राजकीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विभिन्न वर्षों/सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्रों की संख्या सहित प्राप्त परीक्षा शुल्क के विस्तृत विवरण के साथ उक्त धनराशि का 25% विश्वविद्यालय को परीक्षाओं से 01 माह पूर्व अनिवार्यतः प्रेषित किया जायेगा एवं कार्योपरान्त उक्त का समायोजन विवरण तालिका, उपलब्धता प्रमाण पत्र सहित अपने संस्थान के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे, किन्तु कॉलेजों द्वारा वित्त समिति के इस निर्णय का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कॉलेजों द्वारा परीक्षाओं के व्ययों हेतु रोकी गयी 75% धनराशि का कोई समायोजन विश्वविद्यालय को नहीं भेजा जा रहा है। चूंकि विश्वविद्यालय की आय का एक मुख्य साधन परीक्षाएँ होती हैं। कॉलेजों द्वारा जो 25% धनराशि विश्वविद्यालय को प्रेषित की जा रही है, इससे ऑनलाईन कार्यो परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं, ऑनलाईन मूल्यांकन प्रक्रियाओं संबंधी कार्य किये जाते हैं, जिसके पश्चात विश्वविद्यालय के निजी व्ययों एवं विकास हेतु कोई साधन नहीं बचते हैं। अतः प्रस्ताव है कि समस्त राजकीय कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त परीक्षा शुल्कों (वार्षिक/अनुपूरक) की सम्पूर्ण धनराशि विश्वविद्यालय में जमा करायी जायेगी, प्राप्त परीक्षा शुल्कों का 40% कॉलेज को परीक्षाएँ प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के भीतर दी जायेंगी तथा परीक्षाओं के समाप्ति के पश्चात कॉलेजों द्वारा परीक्षाओं का समायोजन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके सापेक्ष वास्तविक भुगतान किया जायेगा। विश्वविद्यालय में पूर्व में परीक्षाओं हेतु यही व्यवस्था लागू थी। अतः उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय:- उक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा अवगत कराया गया कि परीक्षाएँ ही विश्वविद्यालय की आय का प्रमुख साधन होती हैं, तथा विश्वविद्यालय द्वारा ही प्राप्त परीक्षा शुल्क से नियमानुसार धनराशि का वितरण कॉलेजों को किया जायेगा। अतः परीक्षाओं से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि कॉलेजों द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करायी जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-4- सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं, सेवाओं एवं कार्यो की खरीद को एक सुव्यवस्थित एवं निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत लाने एवं वर्तमान में बदलते प्रशासनिक, तकनीकी और आर्थिक परिदृश्य के अनुसार सरकारी खरीद प्रणाली को अधिक पारदर्शी, दक्ष और उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिप्राप्ति नियमावली-2017 को संशोधित कर उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, संख्या: 47/XXVII(7)323(1)/2025, देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2025 के माध्यम से नवीन संस्करण अधिप्राप्ति नियमावली-2025 जारी की गयी है। अतः विश्वविद्यालय के कार्यो हेतु इस नियमावली को यथारूप में अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय:- वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति स्वीकृति प्रदान की गयी।

कुलसचिव
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

Finance Controller
HNB Medical Education University,
Dehradun
(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव
नगराखण्ड शासन

(अरविन्द सिंह पांगरी)
संयुक्त सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग

Dr. Anupama Arya

Vice Chancellor
HNB Uttarakhand Medical Education University
Dehradun


एजेण्डा बिन्दु संख्या-05- ग्यारहवीं वित्त समिति दिनांक 08.10.2024 के कार्यवृत्त संख्या-09 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (नर्सिंग / पैरामेडिकल) की सेमेस्टर माध्यम से कराई जाने वाली विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क के संबंध में वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में इन परीक्षाओं हेतु वर्ष में एक बार ही शुल्क लिया जाता था, किन्तु एक वर्ष में 02 सेमेस्टर होते हैं, अतः परीक्षा शुल्क सेमेस्टर के आधार पर निम्नानुसार लिये जायें :-


क्र० सं०	पाठ्यक्रम	वर्षिक परीक्षा शुल्क	सेमेस्टर परीक्षा शुल्क
1	स्नातक	रु० 4,500/-	2,250/-
2	स्नातकोत्तर	रु० 6,000/-	3,000/-


चूँकि पूर्व में परीक्षाएँ वर्ष में एक ही बार आयोजित की जाती थी, किन्तु वर्तमान में वर्ष में 02 सेमेस्टर परीक्षाएँ आयोजित होती हैं, जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया वर्ष में 02 बार आयोजित हो रही है, इससे इन कार्यों के व्ययभार दोगुने हो गये हैं। अतः प्रस्तावित है कि पूर्व में जो वार्षिक परीक्षा शुल्क लिये जाते थे उतनी ही धनराशि सेमेस्टर के अनुसार वर्ष में 02 बार ली जाये, जिससे इन अतिरिक्त होने वाले व्ययों का भार विश्वविद्यालय को अन्य संसाधनों से वहन ना करना पड़े, इस हेतु पुनः पाठ्यक्रमवार परीक्षा शुल्क लिये जाने का प्रस्ताव निम्नवत है :-


क्र० सं०	पाठ्यक्रम	प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा शुल्क	द्वितीय सेमेस्टर में परीक्षा शुल्क
1	स्नातक	रु० 4,500/-	रु० 4,500/-
2	स्नातकोत्तर	रु० 6,000/-	रु० 6,000/-


निर्णय :- वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पूर्व की व्यवस्था में विश्वविद्यालय को इन परीक्षाओं के अतिरिक्त व्ययभार स्वयं के संसाधनों से वहन करने पड़ रहे हैं। अतः तत्काल पूर्व निर्णित व्यवस्था को समाप्त कर नवीन प्रस्ताव के अनुसार शुल्क लिये जायें।


 Finance Controller
 HNB Medical Education University
 Dehradun


 (शुनील कुमार सिंह)
 उप सचिव
 शैक्षिक कल्याण विभाग
 उत्तराखण्ड शासन


 (अरविन्द सिंह आंगरी)
 संयुक्त सचिव
 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
 चिकित्सा शिक्षा विभाग
 उत्तराखण्ड शासन


 Vice Chancellor
 HNB Uttarakhand Medical Education University
 Dehradun


 हे० न० ०४०३३० चिकित्सा
 शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

एजेण्डा बिन्दु संख्या-6- विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में एक इनोवा क्रिस्टा वाहन (माननीय कुलपति महोदय के कार्यालय प्रयोगार्थ) एवं बोलेरो वाहन (परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय प्रयोगार्थ) उपलब्ध है। विश्वविद्यालय को कुलसचिव के कार्यालय प्रयोगार्थ एक बोलेरो वाहन (जो कि रु0 10 लाख तक की सीमान्तर्गत क्रय किया जायेगा) की नितान्त आवश्यकता है। अतः एक नये बोलेरो वाहन को क्रय किये जाने संबंधी प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय:- वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय ई.मार्केटप्लेस (GEM) के माध्यम से कुलसचिव हेतु एक बोलेरो वाहन क्रय करे, जिसका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं अर्जित आय से किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-7- विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं हेतु वर्षवार/सैमेस्टरवार शुल्क निर्धारित हैं, किन्तु कतिपय परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त पूर्णतः/आंशिक रूप से विभिन्न कारणोंवश परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होते, तथा उनके द्वारा जिन विषयों की परीक्षा तत्कालीन समय में न दी गयी हो, कालान्तर में होने वाली परीक्षाओं में वह परीक्षार्थी उस विषय का शुल्क दुबारा जमा नहीं करता है, इससे कॉलेजों को ऐसे विद्यार्थियों की स्पष्ट एवं पारदर्शी सूची को मिलाना (किस परीक्षार्थी द्वारा कौन-कौन सी परीक्षा नहीं दी गयी) संभव नहीं होता है, एवं विश्वविद्यालय को इससे आर्थिक क्षति भी होती है। अतः प्रस्ताव है कि यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त पूर्णतः/आंशिक रूप से किन्हीं भी कारणोंवश परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होते तो यह उनका निजी उत्तरदायित्व है। कालान्तर में होने वाली परीक्षाओं हेतु इस प्रकार के परीक्षार्थी द्वारा उस विषय का शुल्क दुबारा जमा कराया जायेगा। यह प्रस्ताव वित्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

निर्णय:- वित्त समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। तथा यह भी कहा गया कि इससे विश्वविद्यालय के साथ ही कॉलेजों पर भी इस प्रकार के रिकार्ड रखने का अनावश्यक कार्य बोझ बढ़ना स्वाभाविक है। अतः कालान्तर में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा किये बिना परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

कुलसचिव
हे0न0व0रुत0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

Finance Controller
HNB Medical Education University
Dehradun
(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव
सैनिक कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड शासन

(अरविन्द सिंह यादव)
संयुक्त सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

DR. Anupama Arya
Vice Chancellor
HNB Uttarakhand Medical Education University
Dehradun

एजेण्डा बिन्दु संख्या-8- विश्वविद्यालय की ग्यारहवीं वित्त समिति दिनांक 08.10.2024 के कार्यवृत्त संख्या-12 में विश्वविद्यालय के अधिकारियों (मा0 कुलपति महोदय के अतिरिक्त) द्वारा कार्यालय प्रयोगार्थ उपयोग किये जा रहे सरकारी/टैक्सी वाहनों में अधिकतम 150 लीटर ईंधन (पेट्रोल अथवा डीजल) प्रति माह प्रति अधिकारी को अनुमन्य किया गया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा माँग की गयी है कि अधिकतम 200 लीटर ईंधन (पेट्रोल अथवा डीजल) प्रति माह प्रति अधिकारी को अनुमन्य किया जाये। अतः उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- वित्त समिति द्वारा इस हेतु विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक) से वार्ता की गयी, जिसमें समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय मुख्य शहर से दूर है एवं माह में सचिवालय, विधानसभा इत्यादि स्थानों होने वाली गोष्ठियों में आने-जाने में अतिरिक्त ईंधन का व्यय होना स्वाभाविक है। अतः अधिकारियों द्वारा कार्यालय प्रयोगार्थ उपयोग किये जा रहे वाहनों हेतु पूर्व निर्णित 150 लीटर ईंधन को सीमा को बढ़ाकर 200 लीटर कर दिया जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-9- शासनादेश संख्या 649/XXIV(3)/2016-01(30)/2015 दिनांक 14.12.2016 में महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है, शासनादेश के बिन्दु संख्या-2 (i), 2(ii) एवं 3 (iv) में निम्नवत अस्थायी एवं स्थायी सम्बद्धता हेतु दरें निर्धारित की गयी हैं।

Temporary Affiliation			Permanent Affiliation		
Application Fees	Govt	2500			
	Private	5000			
Processing Fees	Govt	10000	Processing Fees	Govt	10000
	Private	50000		Private	50000

उक्त शासनादेश में वार्षिक सम्बद्धता शुल्क के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में लगभग 100 से अधिक राजकीय एवं निजी मेडिकल/पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संस्थान सम्बद्ध हैं। समस्त राजकीय कॉलेजों से रु0 12,500/- तथा समस्त निजी कॉलेजों से रु0 55,000/- वार्षिक सम्बद्धता शुल्क (APPLICATION FEES + PROCESSING FEES) लिया जा रहा है। जिन सम्बद्ध संस्थानों (कॉलेजों) में एक पाठ्यक्रम संचालित है अथवा जिन सम्बद्ध संस्थानों (कॉलेजों) में एक से अधिक पाठ्यक्रम संचालित हैं, सभी से एक ही प्रकार का सम्बद्धता शुल्क (राजकीय कॉलेजों से रु0 12,500/- एवं निजी कॉलेजों से रु0 55,000/-) लिया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। चूँकि कुछ कॉलेजों में एक कोर्स संचालित है एवं कुछ कॉलेजों में एक से अधिक कोर्स संचालित हैं। अतः प्रस्ताव है कि यह वार्षिक सम्बद्धता शुल्क प्रति संस्थान (कॉलेज) के स्थान पर प्रति पाठ्यक्रम (कोर्स) लिया जाये। अतः उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- वित्त समिति द्वारा इस प्रस्ताव की सराहना की गयी, तथा इस पर सहमति व्यक्त की गयी।

कुलसचिव
हे0न0ब0उत्त0, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
Finance Controller
HNB Medical Education University
Dehradun
सुनील कुमार सिंह
उप सचिव
सैनिक कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड शासन

(अरविन्द सिंह पांगली)
संयुक्त सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

Dr. Anupama Arya
Vice Chancellor
HNB Uttarakhand Medical Education Unive.
Dehradun


एजेण्डा बिन्दु संख्या-10-हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून की स्थापना चिकित्सा शिक्षा विभागान्त वर्ष-2014 में हुई, तत्कालीन समय में सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्यपाल महोदय की सहर्ष स्वीकृति के आधार पर विश्वविद्यालय हेतु सृजित किये गये कुल 18 पदों की सूचना पत्र संख्या-27560/XXVIII(I)/2014-68/2013 दिनांक 22 जनवरी, 2014 के माध्यम से निदेशक चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजी गयी थी, जिनमें 05 आउटसोर्स के पद चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों हेतु श्रजित किये गये थे। सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्र संख्या-2028/XXVIII(I)/2015-02/(सामान्य)/2014 दिनांक 06 मई, 2015 के माध्यम से पुनः कुल 47 पदों के श्रजन के सूचना (31 नियमित पद + 16 आउटसोर्सिंग के माध्यम से) विश्वविद्यालय के मा० कुलपति महोदय को भेजी गयी। विश्वविद्यालय द्वारा भिन्न-भिन्न शासनादेशों के आधार पर आतिथि तक आउटसोर्स के माध्यम से कुल 21 अस्थायी पदों पर कार्मिकों को उपनल के माध्यम से सेवायोजित किया गया है। वर्तमान वित्त नियंत्रक महोदय के संज्ञान में जब यह विषय आया तो उनके द्वारा पदों की निरंतरता न होने पर आपत्ति व्यक्त की गयी। जिस हेतु यह प्रकरण वित्त समिति के अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।


निर्णय :- वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो पद पूर्व में जारी दोनों शासनादेशों में सृजित किये गये हैं, उनकी विश्वविद्यालय को नितान्त आवश्यकता है। अतः इस हेतु तत्काल सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इन 21 अस्थायी पदों की निरन्तरता हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाये।


अन्त में अध्यक्ष महोदय (माननीय कुलपति) द्वारा समिति के सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद दिया गया, एवं तेरहवीं वित्त समिति की बैठक समाप्त की गयी।

वित्त समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर :-

1. प्रो०ए०के० त्रिपाठी, कुलपति,
हे०न०ब०उ०चि०शि० विश्वविद्यालय, देहरादून — अध्यक्ष
2. श्री अरविंद सिंह पांगती, संयुक्त सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य
3. श्री सुनील कुमार सिंह, उप सचिव,
वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य



 Vice Chancellor
 HNB Uttarakhand Medical Education University
 Dehradun


 (अरविंद सिंह पांगती)
 संयुक्त सचिव
 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
 चिकित्सा शिक्षा विभाग
 उत्तराखण्ड शासन


 (सुनील कुमार सिंह)
 उप सचिव
 वित्त विभाग
 उत्तराखण्ड शासन

4. श्री मनीष कुमार उप्रेती, वित्त नियंत्रक,
हे०न०ब०उ०चि०शि० विश्वविद्यालय, देहरादून


— सदस्य



.....
Finance Controller
HNB Medical Education University
Dehradun


5. प्रो० अनुपमा आर्य, विभागाध्यक्ष
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून

— सदस्य



6. डॉ० आशीष उनियाल, कुलसचिव,
हे०न०ब०उ०चि०शि० विश्वविद्यालय, देहरादून

— पदेन सचिव



.....
कुलसचिव
हे०न०ब०उ०चि०शि० चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून